न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 303/2013 निर्णय दिनांक :– 27-11-15

उनवान

1. राजूलाल पुत्र श्रवण
2. ग्यारसी देवी पत्नी श्रवण
3. कमला देवी पत्नी बदरी
4. मोहन पुत्र बदरी
5. मनीष पुत्र बदरी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता स्वयं कमला देवी पत्नी बदरी
6. लालाराम पुत्र बदरी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता स्वयं कमला देवी पत्नी बदरी
7. सूरज पुत्र रामालाल
8. लालचंद पुत्र रामलाल नाबालिग जरिये संरक्षक भाई सूरज पुत्र रामलाल

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

9 सीता पुत्री रामलाल

10. मंदोरी पुत्री रामलाल

11. ममता पुत्री रामलाल नाबालिग जरिये संरक्षक भाई सूरज पुत्र रामलाल

समस्त जाति बैरवा निवासीयान वार्ड नम्बर 23 हरिपुरा की ढाणी कस्बा चाकसू जिला जयपुर।

——वादीगण——

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र कालू

2. श्योनारायण पुत्र कालू

3. रामजीलाल पुत्र रामचंद्र उर्फ चन्द्रा

4. जगदीश पुत्र बालू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

समस्त जाति बैरवा निवासीयान वार्ड नम्बर 23 हरिपुरा की ढाणी कस्बा चाकसू जिला जयपुर।

5. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

——प्रतिवादीगण——

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा त/धा 88, 53, 188 राज0 टेनेन्सी एक्ट 1955

वादीगण ने वाद निम्न प्रकार प्रस्तुत किया :—

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य है एवं जाति से शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति है। जिसका सजरा वादपत्र के पैरा नम्बर 1 के अनुसार है। वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 671 के खसरा नम्बर 1480, 1481, 1483 लगायत 1496, 1502 लगायत 1505 कुलता 20 कुल रकबा 2.51 है0 वाके कस्बा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिसके वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 249 रकबा 0 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 250 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा थे। जिसकी खातेदारी पांचू व छोटू पिता काना जाति बैरवा के नाम बाहिस्सा बराबर थी। जो जमाबंदी संवत 2025—2028 से स्पष्ट है। इस प्रकार वादीगण के पूर्वज छोटू पुत्र काना 1/2 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे एवं 1/2 हिस्से के प्रतिवादीगण के पूर्वज काबिज, खातेदार काश्तकार थे। वादीगण अपने पूर्वज छोटू के स्वर्गवास के बाद 1/2 हिस्से पर काबिज, काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के पूर्वज की नीयत में फितूर आ गया । पांचू व छोटू के स्वर्गगास के समय जब उनकी विरासत का नामान्तकरण सं, 1276 दिंनाक 21.10.1981 को भरा गया तो उसमें 1/2 हिस्सा वादीगण के पिताओ का अंकित न करके हिस्सा बराबर–बराबर अंकित कर दिया गया । उक्त हिस्सा नामान्तकरण में प्रतिवादीगण के पिताओ ने राज कर्मचारियो से साज करके उक्त इन्द्राज अंकित करवा दिया । जिसके फलरूवरूप वादीगण के पूर्वजो गगासहाय एंव जगन्नाथ का हिस्सा कम हो गया एंव प्रतिवादीग्रण के पूर्वजों का हिस्सा बढ गया । जबकि वादीगण के पूर्वज गंगासहाय का हिस्सा 1/2 एंव जगन्नाथ का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/2 बनता है । जिसका आभास वादीगण के पूर्वजों गंगासंहाय एंव जगन्नाथ को नही हो सका। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने गैर कानूनी तरीके से राज कर्मचारियों से सांज करके वादीगण के पूर्वजों का 1/4–1/4 हिस्से के स्थान पर ,1/5–1/5 हिस्सा अंकित करवा दिया। जो वादीगण के वैधानिक अधिकारों के विरूद्ध प्रारंभतया प्रभावशून्यि है । जिसका प्रतिवादीगण के पूर्वजो को कोई वैधानिक अधिकार नही था। पक्षकारो ने वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आराजी का बाहसी सहमति से बंटवारा कर रखा है। वादीगण 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज, काश्त चले आ रहे है तथा लगान सीर में अदा करते आ रहे है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही है । प्रतिवादीगण पहले तो वादीगण को आश्वासन देते रहे कि तहसील कार्यालय में चलकर जो हिस्सा तुम्हारा कम करके हमारें नाम लग गया है , उसे दुरूस्त करवा देंगे और तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम लगा देंगे। लेकिन दिनाक 09.11.2013 को तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारे नाम नहीं लगायेंगे। बल्कि हम तो भूमि का दीगर व्यक्तियों को बेचान करेंगे द्य जो अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और हरे पेडों का काटेंगे, जमीन में खड़डे खोदेंगे द्य तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो । यह जमीन तो हमारें नाम है । वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाया कि हमारें हिस्से की जमीन हमारें नाम लगाओ तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया कि हम तुम्हारे नाम जमीन नही लगायेंगे, तुम चाहे जो करों । वादीगण के लिये ऐसी स्थिति में आवश्यक हो गया है कि वे मान्य न्यायालय में दावा पेश कर अपने हिस्से की जमीन की घोषणा कराकर जमीन अपने नाम लगवावें तथा अपने हिस्से की भूमि का वाकई राजस्व रिकोर्ड में तकासमा करावें तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषैद्याज्ञा से पांबद करावे कि वे वादीगण के हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जमीन में किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वंय करें, न अन्य किसी से करावें । यह कि दावा तकासमें का भी है। सरकार भूमिधारी है । जो आवश्यक फरीक मुकदमा है । इसलिये उनको प्रतिवादी सं. 5 बनाया गया है । वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा पेश करने का हेतु वादीगण के हिस्से की भूमि अपने नाम लगाने, दिंनाक 09.11.2013 को वादीगण के नाम वादग्रस्त जमीन नाम लगाने से इंकार करने, भूमि बेचने की धमकी देने एंव इसके बाद निरन्तर प्रयासरत रहने के कारण पैदा हुआ। दावा घोषणा का है । जिसके लिये कोई मयाद तय नहीं है । इसलिये दावा अंदर मियाद पेश है।वादग्रस्त भूमि श्रीमान के न्याय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उक्त वाद को सुनने का अधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है । दावा उचित कोर्ट फीस पर राज. टेनेन्सी एक्ट के तीसरे शेड्यूल की एन्ट्री सं. 3.5, 23 सी के प्रावधानो के अनुसार पेश है । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नंबर 1480, 1481, 1483 से 1496, 1502 से 1505 कुल किता 20 कुल रकबा 2.51 है. वाके कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादी सं. 1 एंव 2 को 1/8 हिस्से, वादी सं. 3 लगायत 6 को 1/8 हिस्से, वादी सं. 7 लगायत. 11 को 1/4 हिस्से एंव प्रतिवादी सं. 1 एंव 2 को 1/6 हिस्से , प्रतिवादी सं. 3

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

को 1/6 हिस्से एंव प्रतिवादी सं. 4 को 1/6 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावें एवं इसी आशय का राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरूस्त फरमाया जावें । वादीगण के हिस्से की भूमि का वाकई तकासमा किया जाकर उसका राजस्व रिकोर्ड पृथक से बनाया जांवें एवं लगान भी पृथक से निर्धारित कर दिया जावें । प्रतिवादीगण को स्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद फरमाया जावे श्कवे बादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की –मजाहमत न तो स्वयं करें, न अन्य किसी से करावें।

दावा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादीगण की तरफ से वकील हाजीर आया व दिनांक 06.03.2014 से लगातार दिनांक 13.11.2019 तक जवाब दावा पेश नही किये जाने पर जवाब बन्द किया गया। जवाब सरकार दिनांक 02.05.2019 को लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि :–

बिन्दु संख्या 1 वादीगण स्वयं सिद्ध करें।

बिन्दु संख्या 2 वादीगण स्वयं सिद्ध करे पूर्व जमाबंदी संवत 2054–60 के खसरा नम्बर 1007 के अन्तर्गत पूर्व नामानतकरण संख्या 1276 दिनांक 21.10.1981 के अनुसार जगन्नाथ पिता छोटू श्रवण व बदरी पिता गंगासहाय का हिस्सा 1/2 वर्तमान रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
धाकसू (जयपुर)

शुद्ध किया जाना उचित होगा तथा सजरा के अनुसार श्रवण व बदरी पिता गंगासहाय के वारिसान के हक में हिस्सा 1/4 किय जाना राजस्व रिकार्ड में उचित होगा।

बिन्दु संख्या 3 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

बिन्दु संख्या 4 के संबंध में वादीगण स्वयं सिद्ध करे।

बिन्दु संख्या 5 वादीगण स्वयं सिद्ध करे।

बिन्दु संख्या 6 कानूनी है। तथा हिस्सा दुरूस्त किया जाकर तकासमा किया जाना उचित होगा।

बिन्दु संख्या 7 लगायत 11 तक कानूनी है।

विरासत नामान्तकरण 1276 के निर्णय दिनांक 21.10.1981 के अनुसार हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

जवाब सरकार पेश हेाने पर व जवाब दावा पेश बन्द किये जाने पर बहस दावा वकील पक्षकारान की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात तथा नामान्तकरण संख्या 1276 के अनुसार दुरूस्त किया जाना जाहिर किया गया। वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस दावा दुरूस्ती हिस्से का होने से दावा डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादी वकील ने दावे के समर्थन में चाकसू पूर्व की जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 671, जमाबंदी संवत 2057–60 खाता संख्या 1007 नामान्तकरण संख्या 1276 खतौनी भूमि एकीकरण संवत 2023 व 2035–38 मिलान क्षेत्रफल, बतौर दस्तावेज पेश किये गये।

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेज़ात व जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो वादी के पूर्वजों के नाम नामान्तकरण संख्या 1276 के अनुसार सही हिस्से दर्ज कर रखे है किन्तु बाद में नामान्तकरण में हिस्से में काट छाट किये जाने से पक्षकारान के हिस्से गलत दर्ज हो गये जो जवाब सरकार अनुसार एवं नामान्तकरण संख्या 1276 के अनुसार हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1480, 1481 1483 से 1496, 1502 से 1505 किता 20 रकबा 2.51 है0 भूमि कस्बा चाकसू में प्रतिवादीगण के नाम हजफ किये जाने आदेश दिये जाते है व वादी संख्या 1 व 2 को 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 6 को 1/8 हिस्से वादीगण संख्या 7 से 11 को 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/6 हिस्से प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 4 को 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के

खण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.12.03 16:29:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: